ACM आमेर प्र. ५५६

फर्द अहकाम

मुल्लाराम बनाम गोपाल

न्यायालय

संख्या 79/25 डाका

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	12/9/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो।	
	17/9/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वादी की बहस सुनी गई। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 79/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक –19.09.2024

गुलाराम पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गोपाल लाल सैनी पुत्र सूरजमल सैनी जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 17.09.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम शुभरामपुरा पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 128 रकबा 1.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 0.2800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 187 रकबा 0.5000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 202/240 रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.7300 हैक्टेयर स्थित हैं, जिसमें वादी का 21/128 हिस्सा निहित है, तथा शेष हिस्सा वादी के अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित चला आ रहा हैं। वादी अपने हिस्से अनुसार वादअधीन भूमि के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी उक्त भूमि में काबिज होकर निरन्तर काश्त कर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। खसरा नम्बर 128 मनबंट अनुसार वादी के हक व हिस्से में आये है जिस पर वादी काबिज काश्त हैं। वाद पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 128 की भूमि इस वाद पत्र के सभी मदों में विवादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा। वादी की खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा में लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 0.2900 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य है, जिसमें प्रतिवादी का हिस्सा 17/72 निहित है। जिनकी खातेदारी भूमि वादी की भूमि के लगती हुई हैं। वादी व प्रतिवादीगण अपनी–अपनी भूमि के मध्य में सीमा चिन्ह स्थापित कर काफी समय से शांतिपूर्वक काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद संख्या 03 में वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि पर येनकेन प्रकारेण कब्जा करने की व अतिक्रमण करने की ताक मे हैं तथा वादी की सीमा पर लगे सीमाचिन्हों को नष्ट कर वादी की भूमि में जबरन घुसकर निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे है। इसलिये वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी वादअधीन भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। विवाद अन्तिम रूप से दिनाँक 10–09–2024 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसकी कृषि भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, नाजायज कब्जा करने, पुराने सीमा चिन्ह, भूमि को खुर्द–बुर्द करने की एलानियों धमकी दी जो निरन्तर जारी हैं। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर डिकी किया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को अनेक अवसर देने के उपरांत भी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.08.2025 को अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई।

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 गुलाराम पुत्र प्रभात जाति अहीर, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

दस्तावेज साक्ष्य में वादी हाल जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम शुभरामपुरा खाता संख्या 43 पेश किया जिसे प्रदर्श 1 एवं खाता संख्या 43 प्रदर्श 2 से प्रदर्शित किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया। वादीगण को वाद पत्र का स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण की भूमि प्रतिवादी की भूमि से लगवा है। दोनो पक्षो के महज सीमा विवाद हैं विवादित आराजीयात राजस्व ग्राम शुभरामपुरा पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 128 रकबा 1.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 189 रकबा [illegible] हैक्टेयर खसरा नम्बर 187 रकबा 0.5000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 202/240 रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.7300 हैक्टेयर स्थित हैं, वादीगण रिकार्डेड खातेदार [illegible] काश्तकार है, यह जमाबंदी (संवत 2073–2076) प्रदर्श–1 से सिद्ध है। कानूनी रूप से जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड से कब्जे की अवधारणा मानी जाती है। जब तक कि इस रिकार्ड को प्रतिकूल साबित नही किया गया हो। प्रदर्श 1 जमाबंदी (संवत 2073–2076) से स्पष्ट पर कब्जा है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये योग्य है।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary.
Date: 2026.01.16 14:55:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम शुभरामपुरा पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 128 रकबा 1.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 0.2800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 187 रकबा 0.5000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 202/240 रकबा 0.6300 हैक्टेयर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादी सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 79/2024
वउनवानी – गुलाराम बनाम गोपाललाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 17.09.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

गुलाराम पुत्र प्रभात जाति अहीर निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गोपाल लाल सैनी पुत्र सूरजमल सैनी जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 17.09.2025

वादी का वाद डिक्री किया जा कर प्रतिवादी संख्या 1 को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वाद वादी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम शुभरामपुरा पटवार क्षेत्र खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर कृषि भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 128 रकबा 1.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 159 रकबा 0.2800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 187 रकबा 0.5000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 202/240 रकबा 0.6300 हैक्टेयर की सीमा तक किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करे, ना ही उसकी सीमा में प्रवेश करे। तथा वादी सीमा निश्चियकरण हेतू सक्षम न्यायालय में आवेदन करे। तहसीलदार रामपुरा रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना हेतू तहरीर जारी हो।

बसखत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 17.09.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ––––
ओहदा ––––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प [illegible]लतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह [illegible]		
महन्ताना वकील			महन्ताना व[illegible]		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजरा[illegible]क्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर